न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2644–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–1–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन प्रकरण कमांक 01/अपील/अपर कले./2010–11.

———

पानबाई पुत्री स्व. श्री हल्कू
पत्नी स्व. श्री भारतसिंह दांगी
निवासी ग्राम बागोद सेवासनी
तहसील एवं जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– श्रीमती मिन्दाबाई पत्नी रामरतन
2– लालसिंह आत्मज रामरतन
3– भगवानसिंह आत्मज हरिकिशन
4– मुल्लू उर्फ मर्दनसिंह आत्मज हरिकिशन
5– कोमलाबाई पुत्री हरिकिशन
6– थानसिंह आत्मज स्व. श्री दिलीप सिंह
7– टीकाराम आत्मज स्व. श्री दिलीप सिंह
8– सियाबाई पुत्री स्व. श्री दिलीप सिंह
निवासीगण ग्राम बागोद सेवासनी
तहसील एवं जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदिका
श्री महेश वर्मा, अभिषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/7/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका पानबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह सारिया जाति की होकर आदिवासी महिला है, और अनावेदकगण गैर आदिवासी होकर सवर्ण जाति के हैं । ग्राम बागोद तहसील व जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 84/3, 84/5, 90/2 एवं 90/3 क्षेत्रफल 15.43 एकड़ की वह भूमिस्वामी है । इसी प्रकार एक अन्य आवेदन पत्र भी इसी धारा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बागोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 165 क्षेत्रफल 25.73 एकड़ की वह भूमिस्वामी है । सर्वे कमांक 165 के नये सर्वे कमांक 107/1/2/2 (108/3/1, व 127/108) है । उक्त भूमियां उसके द्वारा अनावेदकगण के पास गिरवी रखी गई थी, विकय नहीं की गई थी, क्योंकि उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत विकय की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है, अतः उक्त भूमियां उसे वापिस दिलाई जायें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–23/83–84 एवं 2/अ–23/83–84 दर्ज कर दोनों प्रकरणों में दिनांक 21–7–1992 को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का आधिपत्य आवेदिका को सौपे जाने के निर्देश अनावेदकगण को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 व केशरबाई द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2–1–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आवेदिका की जाति के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों एवं स्थानीय जांच कराये जाने के उपरांत विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए संहिता में निहित प्रकिया एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग सूची का भलीभांति अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने के उपरांत गुण–दोष के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करें । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–23/83–84 एवं 2/अ–23/83–84 में पारित आदेश दिनांक 21–7–1992 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रकरण कमांक 4/अपील/91–92 में दर्ज होकर आदेश दिनांक 30–1–96 के द्वारा निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश को अनावेदकगण द्वारा किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है ।

(2) वर्ष 2010 में अनावेदकगण द्वारा पुनः प्रकरण कमांक कमशः 01/अ–23/83–84 एवं 02/अ–23/83–84 में पारित आदेश दिनांक 21–7–1992 के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति एवं विधि के प्रावधानों पर बिना विचार किये विचाराधीन आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(3) अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका के अभिभाषक द्वारा त्रुटिवश आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई थी, और अभिभाषक को त्रुटि की जानकारी होने के उपरान्त आयुक्त के न्यायालय से प्रकरण वापिस लेकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, और निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अनावेदकगण द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में विलम्ब सद्भाविक होने के कारण विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है ।

(4) संहिता की धारा 49 (3) में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(5) आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दो पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें अनावेदकगण भी पृथक–पृथक थे, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी दो पृथक–पृथक प्रकरण कमांक कमशः 01/अ–23/83–84 एवं 02/अ–23/83–84 दर्ज कर दिनांक 21–7–1992 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करना चाहिए

थी, इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

(6) अपर कलेक्टर द्वारा पूर्व में आदेश पारित करने के उपरांत पुनः प्रकरण में गुण–दोष पर आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पूर्व में प्रस्तुत अपील निरस्त हो चुकी है ।

(7) अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–7–1992 के विरूद्ध वर्ष 2010 में 17–18 वर्ष उपरांत अपील प्रस्तुत की गई थी, और उनके द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किये बिना ही अंतिम आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि जहां समय–सीमा का बिन्दु विचारणीय हो, वहां सर्वप्रथम समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण किया जाना चाहिए तदोपरांत प्रकरण में गुण–दोष पर आदशे पारित किया जाना चाहिए ।

(8) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–1992 के पालन में आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 4/अ–6–अ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 7–9–2010 के द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में हल्का पटवारी को रिकार्ड में संशोधन के आदेश दिये गये थे । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त कर दी गई थी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से वह अंतिम हो चुका है ।

(9) आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस तथ्य को पूर्णतः प्रमाणित किया गया था कि आवेदिका एवं उसका परिवार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी साक्ष्य के आधार पर आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–1–96 को अपील निरस्त कर दी गई थी, अतः पुनः अनावेदकगण को आपत्ति करने का अधिकार नहीं था, इस स्थिति पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका ने उक्त निगरानी समयावधि बाह्य प्रस्तुत की है, जो निरस्ती योग्य है, क्योंकि आवेदिका ने इसके पूर्व एक अपील इसी आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसका प्रकरण कमांक 124/अपील/12–13 है, जो दिनांक 30–6–12 को प्रस्तुत की थी, जिसमें उक्त आदेश के साथ–साथ अन्य आदेशों को भी निरस्त करने हेतु निवेदन किया था, जिसमें भी अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन लगाया था, परन्तु उक्त आवेदन पत्र पर विलम्ब का कोई उचित कारण नहीं दिया था, और आवेदिका ने स्वयं का आवेदन प्रस्तुत कर उक्त अपील को निरस्त करवा लिया जो दिनांक 21–7–14 को किया गया है । इससे स्पष्ट है कि उक्त निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का न तो आयुक्त के यहां स्पष्टीकरण दिया गया था, और न ही न्यायालय में विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण लिखा गया है, जबकि न्यायालय की निर्णय एवं आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि आवेदिका को प्रकरण की पूरी जानकारी थी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा तर्क भी प्रस्तुत किये गये थे तो जानकारी नहीं होना संदिग्धता दर्शाता है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों को सम्पूर्ण सुनवाई एवं आवेदिका की जाति के संबंध में जॉच किया जाना आवश्यक है । आवेदिका येन–केन–प्रकारेण विकय की गई भूमि जो दिनांक 3–8–64 को विकय की गई थी, हड़पना चाहती है ।

(3) आवेदिका ही स्वच्छ हाथों से किसी भी न्यायालय में नहीं आई है । जमीन को गिरबी रखना बताती है, जबकि उक्त भूमि विकय की गई है, और जब विकय की गई थी, उसी समय से अनावेदकगण के पिता एवं पति काबिज रहे हैं एवं उनकी मृत्यु उपरांत निर्विवादित होकर अनावेदकगण कृषि कार्य कर लाभ ले रहे हैं, इसलिए उक्त आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) आवेदिका अपनी जाति के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सकी और न ही यह बता सकी है कि वह अनुसूचित जनजाति की महिला है, इसी संबंध में जांच किये जाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदिका को समय दिया गया है, इससे

बचने के लिए आवेदिका ने अवधि बाह्य निगरानी प्रस्तुत किया गया, क्योंकि सारिया जाति अनुसूचित जनजाति में आती ही नहीं है ।

(5) आवेदिका गलत तरीके से उक्त भूमि हड़पने का प्रयास कर रही है । यदि उक्त आदेश को स्थिर नहीं रखा गया तो अनावेदकगण की भूमि आवेदिका व उसके परिवार वाले हड़प लेंगे, और अनावेदकगण को भूखों मरने की नौबत आ जावेगी ।

तर्कों के समर्थन में म.प्र. व्हीकली नोट 2000 (1) नोट नं. 55 (1), म.प्र. व्हीकली नोट 1996 (1) नोट नं. 14 (1), म.प्र. व्हीकली नोट 1996 (1) नोट नं. 170 (2)

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का बिना निराकरण किये सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि जहां वैधानिक दृष्टिकोण से उचित कार्यवाही नहीं है, वहीं सुस्थापित न्यायिक सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करें, तत्पश्चात प्रकरण में गुण–दोष पर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–1–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर कलेक्टर को उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर